Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम ...बयाना...............................

..........[illegible].............. बनाम ....[illegible]..........

किस्म मुकदमा ....इजराय.......................... नं. 7/24 .... सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
18/12/24	इजराय दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय हाजा के निर्णय/डिक्री दिनांक 03/09/24 विरुद्ध अपील किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है तो निर्णय अनुसार डिक्री की पालना हेतु TDR बयाना को आदेश जारी करें। इजराय पालना हेतु पत्रावली दि 7/1/25 को पेश हो। [illegible]	
7/1/25	पीठासीन अधिकारी .... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/2/25 को पेश हो। रीडर उ.खं./एस.डी.एम	
25/2/25	पत्र डिक्रीधार उप. तहसीलदार बयाना के पत्रांक/2024/5146 दिनांक 10/12/24 [illegible] अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] का भी अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। तहसीलदार बयाना को लिखा जावे कि ख.नं. 210, 217, 218, प्रार्थी के खाते के बाहर [illegible] राजस्व [illegible] पालना रिपोर्ट सहित दिनांक 11/3/25 को पेश हो। [illegible]	

पीठासीन अधिकारी.....है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

पीठासीन अधिकारी.....है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

पीठासीन अधिकारी.....है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण पूर्वानुसार दिनांक को पेश हो।

प्रकरण में निर्णय/डिक्री की पालना

एडीकीदार उक्त। एडीकीदार ने चाहा कि प्रकरण में निर्णय/डिक्री की पालना हो चुकी है। प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण कर दिया जावे।

अतः सम्बन्धित निर्णय/डिक्री की पालना पर प्रकरण में आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं। प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित होना जामर नुम्बर के रूप में। बाद-तामील दाखिल दफ्तर हो।